FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत..... सहायक कलक्टर (SDO) बायतु .....मुकाम.....

.....बनाम.....

किस्म मुकदमा..... .....नं..... सन्.....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/6/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ..... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक .....को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
26/6/19	प्रार्थी वकील उपस्थित/ ~~विप्रार्थी संख्या~~ 1 व विप्रार्थी संख्या- 1 उपस्थित/ विप्रार्थीगण ~~के~~ नोटिस तामिल शुदा तामिल अप्राप्त/ विप्रार्थी संख्या- 8 की ओर से वकील श्री जगदीश गोदारा द्वारा मज्कर हेतिंग ली गई/ मौजूद पीठासीन अधिकारी किसी अन्य कार्य में व्यस्त होने से मिसल इत्तवा होकर आगामी दिनांक 22/07/19 को पेश हो/	Mazkari by me under taking वि. सं. 8 जगदीश Godara 26/6/19 नरेन्द्र
22/07/19	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण ~~के~~ नोटिस अप्राप्त/ मौजूद पीठासीन अधिकारी किसी अन्य कार्य में व्यस्त होने से मिसल इत्तवा होकर आगामी दिनांक 04/09/19 को पेश हो/	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:06:11 IST
Reason: SelfAttested

वाद/2019/928

न्यायालय

इलाहाबाद उच्च आयुरत्न जाति जाति

नियामी नया गांव

04/09/19 प्रार्थी पक्षीय उपस्थित। विपक्षी संख्या-0 की ओर से पक्षालातनामा पेश नहीं किया गया। शेष विपक्षीगणों की एडी तामी प्राप्त नहीं हुई है। अतः पीठासीन अधिकारी महोदय के अवकाश होने के कारण, इत्तला पेशकार निर्णय 13/11/19 को पेश हो।

13/11/19 प्रार्थी पक्षीय उपस्थित। विपक्षी संख्या-1 बाबत सूचना अनुपस्थित। विपक्षी संख्या-0 की ओर से पक्षीय की जगदीश जोशी द्वारा पक्षालातनामा पेश नहीं किया गया। पत्रावली में उपस्थित प्रपत्रों का परिशीलन किया जाकर इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जानी है। शेष विपक्षीगणों के नोटिस पत्रावली में जारी रजिस्टर्ड एडी द्वारा वापस आये जिनको तामील 3 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। न्यायालय समक्ष तीन बार आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई, विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ, लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेत सेब के बाग हुए हैं। प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य जो पुरानी सड़क व डोले बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से क्षति ग्रस्त हैं जिस कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य तनाव बना रहता है तथा वर्षात होने के कारण पर विपक्षीगण प्रार्थी के खातेदारी खेतों में आकर कर लेते हैं इस कारण प्रार्थी की अपने खातेदारी खेतों की पक्की नेथमबन्दी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेथमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेथमबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेथमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसिलदार बागेश्वर की सहायक आयुक्त नियुक्त व सम्बन्धित ग्रा० अभिलेख सिरकुड़ी की सहायक आयुक्त नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक आयुक्त से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेथमबन्दी मौके पर आयुक्त शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर नामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुदा होकर [illegible] से उम्र ही दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:06:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDM)
बागेश्वर

राजस्थान सरकार

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क/वाद/2019/ 928 दिनांकः— 6/11/19

प्रार्थी — बनाम — विप्रार्थीगण

तुलछाराम पुत्र आसूराम जाति जाट
निवासी नया गांव

नरेन्द्र कुमार पुत्र धनाराम वगैरा
नवासी नया गांव

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 187/2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा नया गांव पटवार हल्का नगोणी धतरवालों की ढाणी तहसिल बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 815 रकबा 53.01 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वंय या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/— जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांकः— 6/11/19

क्रमांक/वाद/2019/ 928-33

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी नगोणी धतरवालों की ढाणी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री तुलछाराम पुत्र आसूराम
4. विप्रार्थीगण नरेन्द्र कुमार पुत्र धनाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु/गिड़ा

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:06:11 IST
Reason: SelfAttested